



2026: AHC: 51571

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3011/2026

पीतम सिंह एवं 47 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता: आदित्य प्रकाश वर्मा, रंजना वर्मा, शैलेश वर्मा

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता: सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1 रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।

2 श्री आर.एस. उमराव ने बार (न्यायालय) में यह बयान दिया है कि वे निर्देशों से पूरी तरह सुसज्जित हैं और वह मामले में बहस करने की स्थिति में हैं और वह कोई शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं तथा रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षों की सहमति से, रिट याचिका को इस स्तर पर तय किया जा रहा है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3 रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक हैं, जिसका विवरण रिट याचिका के पैरा 9 में दिया गया है जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"9. कि यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 सेना में 25.04.1995 को नामांकित हुआ था और 31.03.2017 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 2 सेना में 03.11.1995 को नामांकित हुआ था और 31.11.2012 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 3 सेना में 07.01.1999 को नामांकित हुआ था और 31.01.2014 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 4 सेना में 05.03.2002 को नामांकित हुआ था और 30.11.2018 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 5 सेना में 20.10.2003 को नामांकित हुआ था और 28.02.2019 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 6 सेना में 04.07.1999 को नामांकित हुआ था और 31.08.2019 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 7 सेना में 28.01.2003 को नामांकित हुआ था और 31.12.2019 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 8 सेना में 13.02.2002 को नामांकित हुआ था और 28.02.2019 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 9 सेना में 28.10.2000 को नामांकित हुआ था और 31.12.2016 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 10 सेना में 20.02.2002 को नामांकित हुआ था और 28.02.2019 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 11 सेना में 29.04.1998 को नामांकित हुआ था और 30.11.2018 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 12 सेना में 12.07.2001 को नामांकित हुआ था और 30.09.2018 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 13 सेना में 24.03.2003 को नामांकित हुआ था और 29.02.2020 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 14 सेना में 09.06.1997 को नामांकित हुआ था और 31.07.2014 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 15 सेना में 26.02.2002 को नामांकित हुआ था और 31.03.2019 को सेवामुक्त हुआ था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 16 सेना में 12.09.2001 को नामांकित हुआ था और 31.05.2019 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 17 सेना में 13.02.2002 को नामांकित हुआ था और 28.02.2019 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 18 सेना में 08.09.2001 को नामांकित हुआ था और 31.05.2019 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 19 सेना में 02.03.2002 को नामांकित हुआ था और 31.03.2019 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 20 सेना में 07.12.2000 को नामांकित हुआ था और 30.11.2017 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 21 सेना में 15.02.2003 को नामांकित हुआ था और 29.02.2020 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 22 सेना में 26.10.1996 को नामांकित हुआ था और 31.10.2018 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 23 सेना में 26.03.2001 को नामांकित हुआ था और 31.12.2018 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 24 सेना में 25.11.1999 को नामांकित हुआ था और 30.11.2018 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 25 सेना में 14.07.1998 को नामांकित हुआ था और 28.02.2019 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 26 सेना में 10.02.2003 को नामांकित हुआ था और 29.02.2020 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 27 सेना में 14.07.1998 को नामांकित हुआ था और 31.09.2018 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 28 सेना में 21.03.2003 को नामांकित हुआ था और 31.03.2020 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 29 सेना में 04.09.1995 को नामांकित हुआ था और 30.09.2017 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 30 सेना में 26.03.2001 को नामांकित हुआ था और 31.10.2018 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 31 सेना में 24.02.1995 को नामांकित हुआ था और 24.02.2017 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 32 सेना में 03.09.1991 को नामांकित हुआ था और 30.09.2017 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 33 सेना में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



07.01.2002 को नामांकित हुआ था और 31.01.2019 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 34 सेना में 06.06.1999 को नामांकित हुआ था और 31.03.2015 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 35 सेना में 02.02.2000 को नामांकित हुआ था और 31.12.2016 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 36 सेना में 24.09.2002 को नामांकित हुआ था और 30.09.2019 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 37 सेना में 18.06.2001 को नामांकित हुआ था और 30.06.2019 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 38 सेना में 10.07.2001 को नामांकित हुआ था और 31.07.2018 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 39 सेना में 10.10.2001 को नामांकित हुआ था और 30.06.2018 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 40 सेना में 12.02.1997 को नामांकित हुआ था और 31.11.2017 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 41 सेना में 06.01.1999 को नामांकित हुआ था और 30.11.2014 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 42 सेना में 26.04.2002 को नामांकित हुआ था और 30.09.2018 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 43 सेना में 03.04.2002 को नामांकित हुआ था और 30.11.2017 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 44 सेना में 24.01.2003 को नामांकित हुआ था और 31.12.2018 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 45 सेना में 06.12.2000 को नामांकित हुआ था और 31.10.2017 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 46 सेना में 21.12.1996 को नामांकित हुआ था और 31.12.2013 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 47 सेना में 31.12.2002 को नामांकित हुआ था और 31.10.2018 को सेवामुक्त हुआ था; याचिकाकर्ता संख्या 48 सेना में 08.03.1999 को नामांकित हुआ था और 30.06.2016 को सेवामुक्त हुआ था। याचिकाकर्ताओं की सेना में पिछली सेवा के प्रासंगिक रिकॉर्ड की प्रतियाँ इसके साथ संलग्नक संख्या 5 के रूप में दाखिल की जा रही हैं और इस रिट याचिका में अंकित की गई हैं।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित एक भर्ती प्रक्रिया के अनुसरण में सिविल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयन में भाग लिया था, आयोजित परीक्षा के अनुसरण में रिट याचिकाकर्ताओं का चयन किया गया, चयन सूची मार्च 2020 में प्रकाशित हुई और उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, हालांकि, अब सेना में उनके पूर्व कार्य से संबंधित उनके वेतन संरक्षण को दिनांक 12.04.2023 के आदेश द्वारा इस बहाने स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि दिनांक 23.12.2020 का एक शासनादेश मौजूद है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के रिट-ए संख्या 10689 ऑफ 2024 (सीता राम शर्मा और 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) के निर्णय पर भरोसा करना चाहते हैं, जिसमें दिनांक 23.12.2020 के शासनादेश में निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि के संबंध में वर्गीकरण को नकार दिया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अब अंतः-न्यायालय अपील यानी **विशेष अपील संख्या 1233 ऑफ 2025 (उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य बनाम विनय और 3 अन्य)** में, राज्य सरकार की अपील खारिज होने के साथ मामला आच्छादित है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामला **सीता राम शर्मा (उपरोक्त)** के निर्णय द्वारा कवर किया गया है जैसा कि विशेष अपीलीय पीठ द्वारा पुष्टि की गई है।

6. मैंने बार (न्यायालय) में दिए गए बयानों को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

7. तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह विवाद में नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। सीता राम शर्मा (उपरोक्त) में इस प्रकार लिखा है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर उपरोक्त रिट याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाकर्ता जो यू. पी. सिविल पुलिस 2018 में कांस्टेबल जीडी के लिए चुने गए थे, पूर्व सैन्य कर्मियों के रूप में उनके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के संदर्भ में उन्हें वेतन संरक्षण न देने के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए भेदभावपूर्ण रुख से व्यथित हैं। सभी याचिकाकर्ताओं का चयन और नियुक्ति पूर्व सैनिकों की श्रेणी में की गई थी और उनका तर्क है कि यदि एक ही चयन के परिणामस्वरूप, चयनित अभ्यर्थियों को अलग-अलग समय पर प्रशिक्षण के लिए चार बैचों में भेजा जाता है, तो राज्य द्वारा प्रशिक्षुओं के पहले बैच को वेतन संरक्षण देने और अन्य प्रशिक्षुओं को केवल इस आधार पर इससे वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है कि शासनादेश में एक बाद की तिथि से पूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण न देने का निर्णय लिया गया था।

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि चयन होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना आवश्यक था, लेकिन महामारी कोविड-19 की तत्कालीन प्रचलित परिस्थितियों के कारण, यू. पी. पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2020 के आदेश के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग तिथियों और अलग-अलग अवधि के लिए प्रशिक्षण पर भेजे जाने हेतु चार बैचों में विभाजित कर दिया। पहले बैच को अगस्त, 2020 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर भेजा गया था, दूसरे बैच को मार्च, 2021 में छह महीने की अवधि के लिए, तीसरे बैच को अक्टूबर 2021 में छह महीने के लिए और अंतिम और चौथे बैच को मई, 2022 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण पर भेजा गया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें दूसरे बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जो मार्च, 2021 से शुरू हुआ और सितंबर, 2021 तक छह महीने तक चला। जबकि पहला बैच अपना प्रशिक्षण पूरा कर रहा था, उनके संबंध में नियुक्ति आदेश दिनांक 23 दिसंबर, 2020 के शासनादेश से पहले जारी हो गए थे, वह तिथि जब शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि चयनित अभ्यर्थियों, जो पूर्व सैनिक कर्मी हैं, को अब कोई वेतन संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। शासनादेश में आगे यह प्रावधान किया गया कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। शासनादेश का प्रासंगिक पैराग्राफ, जैसा कि पैराग्राफ 22 में निहित है, नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

"उपयुक्त प्रस्तर-1 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्योजन किये जाने की दशा में उनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

(1) सेना से सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजन होने पर उन्हें उस पद के वेतनमान में ही वेतन ग्रहण होगा जिस पद पर उनका पुनर्योजन हुआ है। सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद के वेतनमान का संरक्षण नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे पुनर्योजित सैन्य पेंशनर जिनकी पूरी पेंशन वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षणीय है, का वेतन पुनर्योजन के पद के वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) ऐसे प्रकरण जिनमें वेतन निर्धारण हेतु पूरी पेंशन उपेक्षणीय नहीं है, उनमें पुनर्योजन पर प्रारम्भिक वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा, परन्तु (i) यदि पुनर्योजन के पद

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के वेतनमान में ऐसा प्रक्रम उपलब्ध नहीं है, तो उक्त प्रक्रम के ठीक नीचे वाले प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का अधिकतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित वेतन से कम है, तो पुनर्योजन के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(iii) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का न्यूनतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित अन्तिम वेतन से अधिक है, तो वेतन निर्धारण पुनर्योजन के पद के न्यूनतम पर किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित होने वाले वेतन में से, सैन्य सेवा से प्राप्त पेंशन का वह भाग जो उपेक्षणीय नहीं है, घटा दिया जायेगा।

(4) राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित सैन्य पेंशनर उपरोक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अपनी पूरी पेंशन अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ सहित आहरित करते रहेंगे।

उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे अर्थात् शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरण इन आदेशों से आच्छादित होंगे।

शासनादेश की तिथि के पूर्व राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हो चुके सैन्य पेंशनरों के प्रकरण पुनरूद्घटित (रीओपेन) नहीं किये जायेंगे।"

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जनवरी, 2021 में पहले बैच द्वारा अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उसे वेतन संरक्षण प्रदान किया गया था और उदाहरण के तौर पर नवनियुक्त कांस्टेबल कुलदीप सिंह, पी. एन. ओ. संख्या 202641386, दिनांक 24 जनवरी, 2024 का वेतन निर्धारण रिकॉर्ड पर लाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि पहले बैच को लाभ प्रदान

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किए जाने के बाद, दूसरे, तीसरे और चौथे बैच में चयनित उम्मीदवारों को, जो पूर्व सैनिक कर्मी भी थे, यह लाभ प्रदान नहीं किया गया।

6. उपरोक्त दलीलें रिट याचिका के पैराग्राफ 14 में उठाई गई हैं, जिसमें कई अन्य कांस्टेबलों का विवरण दिया गया है जिन्हें अंतिम वेतन संरक्षण का लाभ मिला था, जिसका वे पूर्व सैनिकों के रूप में दावा कर रहे थे। पैराग्राफ 14 के उत्तर में जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 16 के माध्यम से यह कहा गया है:

"यह कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 14 की सामग्री इस हद तक स्वीकार की जाती है कि पुलिस विभाग में दिनांक 11.10.2020 को कांस्टेबल कुलदीप सिंह, पी. एन. ओ. संख्या 202641386 की नियुक्ति के समय दिनांक 26.8.1977 और 18.5.1983 के शासनादेश प्रभावी थे, वर्तमान में, राज्य सरकार की सेवा में पूर्व सैनिकों के पुनर्योजन के लिए दिनांक 23.12.2020 का शासनादेश प्रभावी है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा अर्थात् शासनादेश जारी होने की तिथि या उसके बाद राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्त होने वाले पूर्व सैनिकों के मामले इस आदेश के दायरे में आएंगे।"

7. ऊपर उद्धृत जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 14 में दिए गए कथनों को पढ़ने मात्र से यह पता चलता है कि कुलदीप सिंह, हालांकि उन्हें पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, उन्हें 11.10.2020 को नियुक्ति की पेशकश की गई थी जब दिनांक 26.8.1977 और 18.5.1983 के शासनादेश लागू थे और इसलिए उन्हें वेतन संरक्षण का यह लाभ प्रदान किया गया था। हालांकि, पूर्व सैनिकों के पुनर्योजन के संबंध में दिनांक 23.12.2020 के शासनादेश के लागू होने के कारण उन्हें उनके पिछले प्रतिष्ठान के वेतन संरक्षण के लिए हकदार नहीं माना गया और इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता को ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सका। इस प्रकार, यह तथ्य की स्वीकृत स्थिति है

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि याचिकाकर्ताओं को वेतन संरक्षण केवल इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनका प्रशिक्षण पहले बैच के प्रशिक्षण के बाद पूरा हुआ था, जबकि याचिकाकर्ता भी पहले बैच की तरह ही प्रशिक्षु थे जो बाद में कांस्टेबल बने। इस प्रकार सभी नियुक्त व्यक्तियों का चयन वर्ष 2018 में आयोजित चयन और भर्ती के अनुसरण में किया गया था और इसलिए उन्होंने वेतन समानता का दावा किया।"

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने वेतन संरक्षण से इनकार करने वाले शासनादेश के तहत लिए गए रुख का बचाव करने का प्रयास किया है, जिसके लिए उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अनिल प्रसाद 2022 5 SCC 461 के मामले में उच्चतम न्यायालय के एक प्राधिकार पर भरोसा किया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने से इनकार करने वाले केंद्र सरकार के नियमों को बरकरार रखा गया था। अतः यह तर्क दिया गया है कि वेतन संरक्षण लाभ देने से इनकार करने की सरकार की कार्रवाई में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है जिससे कि इसे विकृत या अन्यथा भेदभावपूर्ण या मनमाना माना जाए। विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्णय के पैराग्राफ 4.5 पर भरोसा किया है, जो नीचे दिया गया है:

5.4 "इसलिए, सरकारी सेवा में प्रतिवादी का वेतन निर्धारण पूरी तरह से सी. सी. एस. ऑर्डर 1986 के पैरा 8 के अनुरूप था। पैरा 8 यह प्रावधान नहीं करता है कि सरकारी सेवाओं में पुनर्योजन पर एक सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी अपने मूल वेतन को अपने अंतिम आहरित वेतन के बराबर निर्धारित करने का हकदार होगा। ऐसा मानना सी. सी. एस. ऑर्डर के पैरा 8 का उल्लंघन होगा। परिस्थितियों के अंतर्गत उच्च न्यायालय ने यह देखने और मानने में एक गंभीर त्रुटि की है कि सरकारी सेवा में पुनर्नियुक्ति पर सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी सशस्त्र बल कर्मी के रूप में अंतिम आहरित वेतन के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हकदार होंगे। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश सी. सी. एस. ऑर्डर, 1986 के पैरा 8 के विपरीत होने के कारण कायम रहने योग्य नहीं है।"

9. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि इस याचिका में सरकारी गैर-रक्षा प्रतिष्ठान में पुनर्योजन प्राप्त करते समय पूर्व सैन्य कर्मियों को वेतन संरक्षण के लाभ से इनकार करने वाले शासनादेश में निहित प्रासंगिक प्रावधान की तुलना में याचिकाकर्ताओं के साथ किए जा रहे भेदभाव को अधिक चुनौती दी गई है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मणिलाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 0 SC 764 के मामले में निर्णय पर जोर दिया है, और तर्क दिया है कि केवल इसलिए कि काउंसलिंग आयोजित नहीं की गई और उसमें देरी हुई, एक ही चयन के अनुसरण में समान और समरूप रूप से स्थित शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता था। उन्होंने निर्णय के पैराग्राफ 15 पर भरोसा किया है, जो इस प्रकार है:

"अपीलकर्ताओं का मामला राकेश गौड़ (उपरोक्त) के मामले के अधिक समान था, जिन्होंने 05.11.2009 को प्रवेश लिया था। हम इस मामले के विशेष तथ्यों पर स्पष्ट रूप से इस राय के हैं कि खंडपीठ ने इस मामले के तथ्यों पर अंकुल सिंघल (उपरोक्त) और राकेश गौड़ (उपरोक्त) के तर्क को लागू करने के बजाय दिनेश चंद्र डामोर (उपरोक्त) के मामले को लागू करने में त्रुटि की है। जैसा कि अंकुल सिंघल (उपरोक्त) में माना गया था, शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए प्रवेश पाने वाले छात्रों के एक सजातीय समूह के बीच आपस में भेदभाव करना अनुचित होगा। जैसा कि उसमें बताया गया था, ऐसा नहीं हो सकता कि काउंसलिंग के पहले दौर में प्रवेश पाने वाले छात्र स्नातक में 50% से कम अंक होने पर भी पात्र हों, जबकि काउंसलिंग के बाद के दौर में प्रवेश पाने वाले अन्य छात्र पात्र न हों। इसी तर्क के आधार पर राकेश गौड़ (उपरोक्त) को राहत दी गई थी। राकेश गौड़ (उपरोक्त) का मामला

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ता के मामले के समान स्थिति वाला मामला था। जो नियम एक के लिए सही है, वही दूसरे के लिए भी होना चाहिए।"

11. इस प्रकार इस याचिका में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने योग्य एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयन के चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए पहले भेजे जाने के समय दिया गया वेतन संरक्षण उन याचिकाकर्ताओं को देने से इनकार किया जा सकता है जिन्होंने बाद में प्रशिक्षण प्राप्त किया, क्योंकि प्रशिक्षण महामारी कोविड-19 के प्रभाव के कारण चार अलग-अलग बैचों में आयोजित किया जा रहा था। प्रतिवादियों की ओर से इस बात से कोई इनकार नहीं है कि वे सभी याचिकाकर्ता जिन्हें प्रशिक्षण के लिए दूसरे बैच में भेजा गया था और बाद में उसी विज्ञापन के अनुसरण में उसी चयन के तहत कांस्टेबल (जीडी) यू.पी. पुलिस के पद के लिए चुने गए थे। प्रशिक्षण ऐसे चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के लिए किया जाने वाला एक हिस्सा (part-exercise) है और एक बार उम्मीदवार का चयन हो जाने के बाद प्रशिक्षण अंततः प्रकाशित और घोषित चयन सूची में स्थान पाने के परिणाम के रूप में होता है। इस प्रकार नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए उम्मीदवार को प्रशिक्षण पर भेजने हेतु एक बार चयन सूची तैयार हो जाने के बाद चयन का कोई और चरण शेष नहीं रह गया था। इसलिए, यह चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया का हिस्सा और पार्सल है, और इसलिए, न्यायालय के सुविचारित मत में, प्रतिवादियों ने अपनी प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में यदि प्रशिक्षुओं को अलग-अलग समूहों और श्रेणियों में विभाजित करने का निर्णय लिया जिन्हें प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग तिथियों पर भेजा जाना था और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर ऐसे प्रशिक्षुओं को नियुक्ति दी जा रही थी, तो उनके साथ सेवा लाभों, जैसे वेतनमान, भत्ते और अन्य उपलब्धियों के मामले में निश्चित रूप से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए जो संबंधित पद के लिए स्वीकार्य हैं। यहाँ तक कि वरिष्ठता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के मामले में भी, केवल चयन सूची का पालन किया जाना है। मणिलाल (उपरोक्त) के मामले में जिस निर्णय का हवाला दिया गया है, वह पूरी तरह से याचिकाकर्ताओं के मामले को कवर करता है। उसमें न्यायालय ने माना था कि सजातीय समूह के बीच आपस में भेदभाव को मंजूरी नहीं दी जा सकती। इस प्रकार एक ही चयन के अनुसरण में सभी चयनित अभ्यर्थी एक सजातीय समूह बनाएंगे और उनकी नियुक्ति केवल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक परिणामी परिणाम है जो प्रशिक्षण के दौरान उनके अस्वीकरण के अधीन है। एक बार जब एक सजातीय समूह को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो सभी सदस्यों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

12. प्रशिक्षण के लिए भेजे जा रहे क्लस्टर या समूहों के आधार पर किया गया कोई भी वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा क्योंकि यह समान रूप से स्थित कर्मचारियों को लाभ देने के उद्देश्यों के लिए एक उचित वर्गीकरण नहीं होगा। समानता का एक स्थापित नियम यह है कि असमानों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता और समान रूप से स्थित लोगों के साथ वेतन समानता के लिए एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें सेवा लाभ प्रदान किए जाने चाहिए।

13. फिरंगी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2011) 2 UPLBEC 987 के मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने में हुई गलती के लिए, याचिकाकर्ताओं को नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि यह मामला नियमितीकरण से संबंधित था, लेकिन चूंकि प्रबंधन ने विलंबित नियुक्ति आदेश जारी किए थे और यहाँ तक कि नियमितीकरण नियमों की कट-ऑफ तिथि के बाद भी, इसलिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया गया। इस निर्णय का आगे महेश नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (रिट ए संख्या 55606 ऑफ 2008),

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 19.12.2019 के मामले में पालन किया गया है, जिसमें एक ही विज्ञापन के सभी आवेदकों को चयनित होने पर इस कारण से एक सजातीय समूह माना गया कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सके, क्योंकि विज्ञापन और चयन पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करने से पहले हुए थे, भले ही नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए गए थे।

14. मामले के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, जहाँ मुझे पूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण से इनकार करने के संबंध में इसके लागू होने में शासनादेश में कुछ भी भेदभावपूर्ण नहीं लगता है, लेकिन शासनादेश केवल उन मामलों पर लागू होगा जहाँ उम्मीदवारों का चयन इसके जारी होने के बाद किया गया था। वे सभी जिन्हें अंततः नियुक्ति देने के लिए प्रशिक्षण पर भेजा गया है, वे वेतन संरक्षण सहित ऐसे सभी लाभों का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए एक सजातीय समूह बनाएंगे और उनके दावे पर अभी शासनादेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15. जहाँ तक विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय का प्रश्न है, मुझे उसमें निर्धारित कानून के संबंध में कोई विवाद नहीं दिखता है, क्योंकि मेरा भी यह मत है कि इस मामले की विशेष परिस्थितियों में शासनादेश को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे वर्तमान मामले पर लागू होने योग्य माना गया है।

16. उपरोक्त के आलोक में, रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं को अंतिम वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करे जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अनुसरण में प्रशिक्षुओं के पहले बैच को दिया गया है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा और परिणामी लाभ याचिकाकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. आगे उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य बनाम विनय एवं 3 अन्य (उपरोक्त) में इस प्रकार लिखा है:-

"1. सभी अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल, सहायता प्राप्त विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री तेज भानु पांडे, और संबंधित अपीलों में प्रतिवादियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. के. ओझा, सहायता प्राप्त विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी और श्री आदित्य प्रकाश वर्मा को सुना गया।

2. ये सभी अपीलें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.04.2025 को संबंधित रिट याचिकाओं (जो रिट ए संख्या 10689 ऑफ 2024, सीता राम शर्मा एवं 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य के साथ तय की गई थीं) में पारित सामान्य निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसके द्वारा यहाँ प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार किया गया था और अपीलकर्ता संख्या 3 (यहाँ) को निर्देश दिया गया है कि वह उन याचिकाकर्ताओं को अंतिम वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करे, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अनुसरण में प्रशिक्षुओं के पहले बैच को दिया गया है और उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा और परिणामी लाभ दिया जाएगा।

3. अपीलकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य ने इन सभी अपीलों में समान मुद्दा उठाया है, और इसलिए, उन्हें एक साथ सुना गया और इस सामान्य आदेश द्वारा तय किया जा रहा है। सभी अपीलों में शामिल मुख्य प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयनित सूची में रखे गए उम्मीदवारों को उनके संबंधित नियुक्ति पत्रों की तिथि और उनके प्रशिक्षण के लिए उल्लिखित तिथि के आधार पर एक अलग वर्ग माना जा सकता है। प्रत्येक अपील में उम्मीदवारों के संबंध में तथ्यात्मक विवरण, जैसे उनके

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पिछले सेवा विवरण, नियुक्ति पत्र की तिथि और उनके प्रशिक्षण की अवधि के लिए पत्र में उल्लिखित तिथि, भिन्न हो सकते हैं।

4. सुविधा के लिए, तथ्यात्मक विवरण विशेष अपील संख्या 1240 ऑफ 2025 से लिए जा रहे हैं, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.04.2025 को पारित निर्णय और आदेश में वही प्रमुख याचिका थी, हालाँकि, वर्तमान सामान्य आदेश का परिणाम सभी संबंधित मामलों पर लागू होगा। संबंधित अपीलों में प्रतिवादियों/उम्मीदवारों की संख्या ही एकमात्र तथ्यात्मक अंतर है।
5. विशेष अपील के मामलों के इस समेकित समूह के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ सभी प्रतिवादी भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सदस्य हैं, जो विभिन्न रेजीमेंटों में अलग-अलग समय पर नामांकित हुए थे। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रतिवादी को उसकी नियुक्ति की अवधि के उचित समापन पर कार्यमुक्त या सेवानिवृत्त किया गया था। उनकी व्यक्तिगत सेवा अवधियों में अंतर के बावजूद, इन मामलों में सामान्य तथ्य यह उभरता है कि सभी प्रतिवादियों ने अपनी सैन्य सेवा समाप्त कर ली थी और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उनका चयन हुआ था और उन्होंने एक ही चयन सूची में अपना स्थान सुरक्षित किया था, जो अपीलों के इस बैच का विषय है।
6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अक्टूबर 2018 की सीधी भर्ती के अनुसरण में तैयार की गई चयन सूची ने नियुक्ति की प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया, क्योंकि प्रशिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। वह प्रस्तुत करते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, राज्य के लिए चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से आयोजित करना आवश्यक हो गया था, और इसलिए, उम्मीदवारों के संबंधित प्रशिक्षण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चरणों के अनुरूप अलग-अलग तिथियों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यू.पी. पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने अपने दिनांक 25.07.2020 के आदेश द्वारा चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग तिथियों और अलग-अलग अवधियों के लिए प्रशिक्षण हेतु चार बैचों में विभाजित किया था। तत्पश्चात, पहले बैच ने अगस्त 2020 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। दूसरे बैच ने मार्च 2021 में छह महीने के लिए शुरू किया। तीसरे बैच ने अक्टूबर 2021 में छह महीने के लिए शुरू किया, और चौथे बैच ने मई 2022 में, वह भी छह महीने की अवधि के लिए शुरू किया।

7. विद्वान अपर महाधिवक्ता के अनुसार, राज्य अलग-अलग समय पर, अलग-अलग बैचों में प्रशिक्षण के लिए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग वेतन संरचना निर्धारित करने के अपने अधिकार के भीतर था, और अपीलकर्ता राज्य अन्य बैचों के उम्मीदवारों को वही वेतन संरक्षण दिए बिना नियुक्ति पत्र देने में भी उचित था, जो पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए गए सदस्यों को दिया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चयन सूची को सभी उद्देश्यों के लिए एक सजातीय वर्ग नहीं माना जा सकता है, और यह कि राज्य बाद के तीन बैचों को पहले बैच से अलग आधार पर रखने में उचित है, जिसने अन्य बैचों की तुलना में पहले ही प्रशिक्षण पूरा कर लिया था।
8. यह निर्विवाद है कि पहला बैच, जिसने जनवरी 2021 में अपना प्रशिक्षण पूरा किया था, उसे वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था। विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क यह है कि एक ही सूची से चयनित, विभिन्न बैचों से संबंधित उम्मीदवारों के साथ किया गया भेदभावपूर्ण व्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुमेय दायरे में है, और इसलिए राज्य अलग-अलग समय पर प्रशिक्षण शुरू करने वाले चार बैचों के लिए अलग वेतन संरचना निर्धारित करने का हकदार है।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015 के नियम 19 पर भरोसा किया है, जिसे आसान संदर्भ के लिए नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

नियम - 19. प्रशिक्षण।

(1) (क) नियम 15 और 16 के तहत कांस्टेबल के पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को विभाग के प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों पर पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज नियमावली के प्रावधान प्रभावी होंगे। यदि बुनियादी प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसका चयन/अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।

(ख) बुनियादी प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण होने वाले कैडेटों की पुनः परीक्षा पूरक प्रशिक्षण करने के बाद विभाग के प्रमुख द्वारा आयोजित की जाएगी। पूरक प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की सेवा समाप्त करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) नियम 17 के तहत पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को विभाग के प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक होगा।

10. विद्वान अपर महाधिवक्ता का तर्क है कि कांस्टेबल के पद के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को विभाग के प्रमुख द्वारा निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण से गुजरना और उसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जिसमें विफल रहने पर उनका चयन रद्द होने योग्य है। यह प्रस्तुत किया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है कि नियम अधिकारियों को पूरक प्रशिक्षण और पुनः परीक्षा आयोजित करने और उसके बाद भी विफल रहने वाले उम्मीदवारों की सेवा समाप्त करने का अधिकार भी देता है, जबकि पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को भी निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है और इसलिए, जब तक प्रशिक्षण पूरा नहीं हो जाता, तब तक राज्य वेतन संरचना में बदलाव प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।

11. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि राज्य की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादियों का चयन सिविल पुलिस और पी. ए. सी. में कांस्टेबलों के पदों के लिए 2018 में शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के अनुसरण में किया गया था और मार्च 2020 में घोषित परिणाम में उन्हें विधिवत पूर्व-सैनिक श्रेणी में रखा गया था। उनका आगे तर्क है कि 23.12.2020 का शासनादेश, जहाँ तक यह प्रावधान करता है कि उक्त तिथि के बाद की गई सभी नियुक्तियाँ वेतन संरक्षण की हकदार नहीं होंगी, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, विशेष रूप से तब जब सभी उम्मीदवार एक ही चयन सूची में रखे गए हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पहले चरण में नियुक्त उम्मीदवारों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था, जिसे राज्य सरकार ने लगातार स्वीकार किया है।

12. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता आगे **मणिलाल बनाम राजस्थान राज्य, AIR 2024 SC 4404** पर भरोसा करते हैं, और प्रस्तुत करते हैं कि वे सभी उम्मीदवार जिनका चयन एक सामान्य चयन के अनुसरण में किया गया था, एक एकल सजातीय समूह (homogeneous group) का गठन करेंगे और इस सजातीय समूह के बीच आपस में (inter se) भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वह इस उच्च न्यायालय द्वारा 19.12.2019 को तय किए गए **महेश नारायण और**

अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, रिट ए संख्या 55606 ऑफ 2008 पर भी भरोसा करते

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं। उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस तरह के अलग व्यवहार को केवल कुछ सुबोध अंतर के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, जो इन मामलों के तथ्यों में मौजूद नहीं हैं।

13. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रशिक्षण के संबंध में अपर महाधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क यानी यू. पी. पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नियमावली, 2015 के नियम 19 का भी उत्तर देते हैं। उनके अनुसार, विद्वान एकल-न्यायाधीश ने सही अवलोकन किया है कि प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों के लिए एक अभ्यास है और एक बार चयन सूची तैयार होने के बाद, उम्मीदवार को नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षण पर भेजने हेतु चयन का कोई और चरण शेष नहीं रह गया था। वह आगे यू. पी. पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नियमावली, 2015 के नियम 18 पर भरोसा करते हैं, जिसे आसान संदर्भ के लिए नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

नियम - 18. नियुक्ति।

- (1) नियम 15 और 16 के प्रावधानों के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवारों के नाम उसी क्रम में लेकर नियुक्ति करेगा जिसमें वे नियम 15 के खंड (छ) के तहत तैयार की गई सूची में खड़े हैं। नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवारों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर या नियुक्ति पत्र में इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किसी भी तारीख के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करें। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका चयन/नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परन्तु यह कि इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो पद पर कार्य कर रहा है, उसे इन नियमों के तहत मौलिक रूप से नियुक्त माना जाएगा।

(2) यदि नियम 17 के तहत किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें चयन में निर्धारित वरिष्ठता के क्रम में व्यक्तियों के नामों का उल्लेख होगा या, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उस कैडर में था जिससे वे पदोन्नत हुए हैं:

परन्तु यह कि इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उस पद पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के तहत मौलिक रूप से नियुक्त माना जाएगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इन नियमों के तहत की गई मानी जाएगी।

14. उपरोक्त प्रावधान पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि नियम 18 नियम 15 और 16 के तहत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने की परिकल्पना करता है, और केवल उसके बाद नियम 19 ऐसे उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने की आवश्यकता बताता है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि नियमों की योजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि नियुक्ति पत्र प्रशिक्षण से पहले आता है, और इसलिए, प्रशिक्षण को चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, जैसा कि विद्वान एकल-न्यायाधीश द्वारा सही माना गया है, क्योंकि प्रशिक्षण नियुक्ति के बाद आयोजित किया जाना है।

15. हमने अपीलकर्ताओं/राज्य के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है, जिसमें विद्वान एकल-न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष भी शामिल हैं। कुछ मूलभूत तथ्य विवाद में नहीं हैं। सभी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उम्मीदवार, चाहे उन्हें बाद में प्रशिक्षण के लिए किसी भी बैच में भेजा गया हो, अक्टूबर 2018 में जारी एक ही भर्ती विज्ञापन के अनुसरण में चुने गए थे। चयन सूची सामान्य थी, चयन प्रक्रिया समान थी, और नियुक्तियाँ उसी भर्ती अभ्यास से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थीं।

16. रिकॉर्ड के सरल अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि सभी नियुक्ति पत्र अक्टूबर 2018 की एक ही सीधी भर्ती के अनुसरण में की गई नियुक्तियों से संबंधित हैं, जो एक ही विज्ञापन और चयन प्रक्रिया से उत्पन्न हुई हैं। यह भी किसी पक्ष का मामला नहीं है कि चयन सूची के लिए आए विज्ञापन ने ऐसा कोई वर्गीकरण या श्रेणी-वार भेदभाव निर्धारित किया था। इसके अलावा, राज्य ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए चार अलग-अलग चरणों में भेजने को किसी तर्कसंगत वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था।

17. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा सुविचारित मत है कि चरणों में आयोजित किया जाने वाला प्रशिक्षण पूरी तरह से अपीलकर्ता राज्य द्वारा सामना की गई ढांचागत सीमाओं और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के कारण आवश्यक था, न कि चयन सूची के उम्मीदवारों के बीच किसी सुबोध अंतर के कारण। इसलिए, बाद के बैचों में प्रशिक्षण पर रखे गए उम्मीदवारों को वंचित करना घोर मनमाना है और शत्रुतापूर्ण भेदभाव के दोष से ग्रस्त है।

18. विद्वान अपर महाधिवक्ता के तर्क का पूरा आधार यह है कि चरणबद्ध प्रशिक्षण ने स्वयं चार अलग-अलग श्रेणियाँ बनाई, जिससे राज्य को बाद के बैचों का हिस्सा रहे प्रतिवादियों से वेतन संरक्षण रोकने के लिए अलग वेतन संरचना निर्धारित करने में सक्षमता मिली।

19. हालांकि यह न्यायालय महामारी से संबंधित आवश्यकताओं और ढांचागत सीमाओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन ऐसी बाहरी और अस्थायी प्रशासनिक मजबूरियाँ एक सजातीय वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार को उचित नहीं ठहरा सकती हैं। अनुच्छेद

14 के तहत अनुमेय वर्गीकरण को नियंत्रित करने वाली कानूनी स्थिति इतनी अच्छी तरह से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्थापित है कि उसके विस्तार की आवश्यकता नहीं है और जब स्थापित मापदंडों पर परीक्षण किया जाता है, तो अपीलकर्ता राज्य द्वारा दी गई दलील जांच में खरी नहीं उतरती।

20. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) 1 SCC 1 में, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि वर्गीकरण अस्पष्ट, अनिश्चित या मायावी नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता के परीक्षण को पास करने के लिए, वर्गीकरण एक सुबोध अंतर (intelligible differentia) पर आधारित होना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को मनमाने भेदभाव से बचाना है, चाहे वह किसी कानून की स्पष्ट शर्तों के कारण हो या कानून के अनुचित प्रयोग के कारण। किसी भी वर्गीकरण का आधार एक ऐसा सुबोध अंतर होना चाहिए जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध हो, जिसमें विफल रहने पर ऐसा वर्गीकरण अस्वीकार्य भेदभाव का परिणाम होता है।

21. डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1990) 2 SCC 715 में, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि एक ही भर्ती अधिसूचना और चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले उम्मीदवार सेवा लाभों के उद्देश्य से एक एकल वर्ग का गठन करते हैं। वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में शीर्ष न्यायालय ने माना है कि एक बार जब पदाधिकारी को नियम के अनुसार किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता उसकी नियुक्ति की तारीख से गिनी जानी चाहिए न कि उसकी पुष्टि की तारीख के अनुसार। इस सिद्धांत को लागू करते हुए, प्रशिक्षण के पूरा होने को एक ही चयन सूची में रखे गए उम्मीदवारों के बीच उप-वर्ग बनाने के लिए विचार किए जाने वाला बिंदु नहीं माना जा सकता है।

22. अपीलकर्ताओं ने किसी भी ऐसे वैधानिक नियम की ओर इशारा नहीं किया है जो राज्य को वेतन निर्धारण या वेतन संरक्षण के उद्देश्य से एक चयन सूची के भीतर उप-श्रेणियाँ बनाने के लिए अधिकृत करता हो। वास्तव में, राज्य का अपना रुख यह है कि प्रशिक्षण के लिए चरणबद्ध प्रेषण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पूरी तरह से प्रशासनिक आवश्यकता के कारण मजबूर था। प्रशासनिक आवश्यकता, भले ही वह सद्भावी हो, अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक रूप से अनुमेय अंतर तक उन्नत नहीं की जा सकती। इस तरह के मार्ग की अनुमति देने से राज्य को मनमाने या आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर समान हकदारी को खंडित करने की छूट मिल जाएगी, एक ऐसी प्रथा जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार अस्वीकृत किया गया है।

23. विद्वान एकल-न्यायाधीश इसलिए यह मानने में सही थे कि प्रतिवादी और अन्य समान रूप से स्थित उम्मीदवार, जो अक्टूबर 2018 की एक ही भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए थे, उन्हें वेतन संरक्षण और सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता था, जो पहले भेजे गए प्रशिक्षण के पहले बैच के उम्मीदवारों को दिया गया था। संवैधानिक मानकों के स्वतंत्र अनुप्रयोग पर, हमें विद्वान एकल-न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई कमी नहीं मिली है।
24. यहाँ ऊपर दर्ज कारणों से, हमारा मत है कि अपीलकर्ता राज्य द्वारा एक ही चयन सूची में रखे गए उम्मीदवारों के बीच केवल उन तारीखों के आधार पर किया गया भेदभाव, जिस पर उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में एक अस्वीकार्य वर्गीकरण है।
25. राज्य द्वारा पहले बैच को दिए गए वेतन संरक्षण और संबंधित वेतन संरचना का लाभ दूसरे, तीसरे और चौथे बैच के उम्मीदवारों से नहीं रोका जा सकता है जो एक ही भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थे और एक ही चयन सूची में रखे गए थे।
26. इसलिए, हमें विद्वान एकल-न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है। तदनुसार विशेष अपीलों का बैच विफल होता है और खारिज किया जाता है। प्रतिवादियों और अन्य सभी समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को वेतन संरक्षण और परिणामी लाभ देने के लिए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान एकल-न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश की पुष्टि की जाती है। राज्य इस आदेश की तारीख से बारह सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित समझे जाते हैं।

9. तदनुसार, दिनांक 12.04.2023 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है, मामला अधिकारियों को वापस प्रेषित किया जाता है ताकि उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में दो महीने की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित किया जा सके।

10. चूंकि, आज प्रेषित निर्देशों के अनुसार, मामले का निर्णय राज्य सरकार की ओर से प्रतिवादी संख्या 1, उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के माध्यम से किया जाना है, अतः प्रतिवादी संख्या 1 इस मामले का निर्णय करें।

11. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

12. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

मार्च 13, 2026

आशू

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।